झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची – 834001

विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि–10.08.2020

विज्ञापन संख्या–04/2020

नगर विकास एवं आवास विभागान्तर्गत सहायक नगर निवेशक के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा।

झारखण्ड राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत सहायक नगर निवेशक के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक–474 दिनांक–24.01.2020 द्वारा प्राप्त अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित–प्रपत्र में Online आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जो आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

क्र0 सं0	पद का नाम	कुल पद	कोटिवार रिक्तियाँ						क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत प्रवर्ग कोटि का विवरण					
			अनारक्षित	अ0ज0जा0	अ0जा0	अ0पि0व0 (अनु0–I)	पि0व0 (अनु0–II)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	महिला	खेल कूद	दिव्यांग: दृष्टि निःशक्तता (क)	दिव्यांग: श्रवण निःशक्तता (ख)	दिव्यांग: चलन निःशक्तता (ग)	(घ) स्वलीनता **(Autism)**, बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और, या (ङ) बहु निःशक्तता **(Multiple disabilities)** जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	सहायक नगर निवेशक	**77**	32	20	08	06	04	07	04	--	01	01	01	01

नोटः– कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

2. **वेतनमान** – **PB-II, रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 – 5400 (level-9)**
3. **पद** – स्थायी
4. **परीक्ष्यमान अवधि** – 2 (दो) वर्ष
5. **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हत्ता :–**

पद		न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता		
		स्नातक	स्नातकोत्तर	सम्बद्धता
सहायक नगर निवेशक	A	(i) वास्तुकला (ii) बी0 प्लानिंग (iii) असैनिक अभियंत्रण	निम्नांकित में से किसी एक विषय में विशिष्टिकरण के साथ मास्टर ऑफ प्लानिंग :– (i) अर्बन प्लानिंग (ii) ट्रान्सपोर्ट प्लानिंग (iii) हाउसिंग (iv) पर्यावरण प्लानिंग (v) क्षेत्रीय प्लानिंग	इन्स्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स (इंडिया), नई दिल्ली से साहचर्य सदस्यता प्राप्त।

6. उम्र गणना की तिथि :– 01.08.2019

(a) **न्यूनतम उम्र सीमा** :– **21 वर्ष।**

(b) **अधिकतम उम्र सीमा** :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या–609 दिनांक–25.01.2016 के अनुरूप अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा
1.	अनारक्षित	35 वर्ष
2.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)	37 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)	38 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष

(c) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक–7636 दिनांक–12.10.2018 के अनुरूप दिव्यांगों को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट देय है।

(d) **निःशक्तजन के आरक्षण के लिए निःशक्तता की मात्रा** :– केवल ऐसे अभ्यर्थी आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो तथा इस निमित्त विहित चिकित्सा प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। विहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर विज्ञापन के साथ उपलब्ध है।

(e) भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 (पाँच) वर्षो का छूट देय होगा।

(f) **कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक–360 दिनांक–21.01.2003 के अनुसार :– राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने लगातार 03 (तीन) वर्षों की सरकारी सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 (पाँच) वर्ष का छूट देय होगा।**

7. **नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :–**

(i) रिक्त पदो के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों के विहित संख्या की स्थिति में वांछित कार्रवाई आयोग के Rules of Procedure, 2002 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। Rules of Procedure, 2002 के Chapter-IV कंडिका–5(3)(d) के आलोक में अधियाचित पद के विरूद्ध 500 से कम आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में नियुक्ति प्रक्रिया शैक्षणिक अर्हत्ता एवं अन्तर्वीक्षा के समेकित अंकों के आधार पर होगा जिसके लिए निम्नवत् अंक निर्धारित हैं :–

a) शैक्षणिक अर्हत्ता – 80 अंक

b) साक्षात्कार – 20 अंक

शैक्षणिक अर्हत्ता के 80 अंको का विभाजन निम्नवत् है :–

10th या मैट्रिकुलेशन	– 10 अंक
12th या इन्टरमीडिएट	– 15 अंक
स्नातक	– 25 अंक
स्नातकोत्तर	– 30 अंक

नोट :– अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन, इन्टरमीडिएट, स्नातक एवं स्नाकोत्तर के अंकों का निर्धारण संबंधित परीक्षा के पूर्णांक के विरूद्ध उनके कुल प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

उदाहरणस्वरूप किसी अभ्यर्थी 'X' का इन्टरमीडिएट में 900 पूर्णांक के विरूद्ध कुल प्राप्तांक 540 है। इस प्रकार उक्त प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थी 'X' का इन्टरमीडिएट के कुल अंकों की गणना निम्नवत् होगी :–

$$\frac{540}{900} X\ 15 = 09 \text{ अंक}$$

(ii) आयोग के Rules of Procedure, 2002 के Chapter-IV नियम–5(3) के प्रावधानान्तर्गत आवेदकों की संख्या 500 से अधिक होने पर Screening Test आयोजित कर अन्तर्वीक्षा हेतु चयन किया जाएगा।

नोट :– यदि Screening Test की आवश्यकता होगी तो इसका स्वरूप, विषय, पाठ्यक्रम आदि की सूचना अलग से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी।

(iii) **न्यूनतम अहर्त्ताक :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक–13026 दिनांक–27.11.2012 एवं संकल्प ज्ञापांक–7358 दिनांक–12.09.2019 के अनुरूप न्यूनतम अर्हत्तांक निम्नवत् है :–**

सामान्य वर्ग	40 %
पिछड़ा वर्ग (एनेक्चर–II)	36.5 %
पिछड़ा वर्ग (एनेक्चर–I)	34 %
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 %
आदिम जनजाति	30 %

नोट :– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के न्यूनतम अर्हत्ताक के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड से परामर्श प्राप्त होने के उपरान्त इससे संबंधित सूचना अलग से प्रेस विज्ञप्ति द्वारा संसूचित किया जाएगा।

8. **आरक्षण का लाभ :–**

(a) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को (राज्य सरकार के पत्रांक–1754 दिनांक–25.02.2019 के अनुसार) झारखण्ड राज्य के **सक्षम प्राधिकार यथा जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्त्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दंडाधिकारी/अंचल अधिकारी** में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(b) जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अन्तर्वीक्षा हेतु सत्यापन प्रक्रिया के क्रम में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी अनारक्षित कोटि के लिए अनुमान्य होगी। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(c) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों के अनुरूप सभी वांछित प्रमाणपत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी **निरस्त** कर दी जाएगी।

(d) जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:–

(i) **अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति :–**

झारखण्ड राज्य के **अनुसूचित जनजाति कोटि एवं अनुसूचित जाति** के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754 दिनांक–25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–IV में **प्रमाण पत्र साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय तक** झारखण्ड राज्य के **सक्षम प्राधिकार द्वारा** निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(ii) **अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II :–**

झारखण्ड राज्य के **अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II** कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754 दिनांक–25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–11 (क्रीमीलेयर रहित) में **प्रमाण पत्र साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय तक** झारखण्ड राज्य के **सक्षम प्राधिकार द्वारा** निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(iii) **आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के लिए:–** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या–1433 दिनांक–15.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–I) में साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय तक झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(e) **खेलकूद कोटा** के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–1709 दिनांक–12.09.2007 द्वारा श्रेणी –II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :–

प्रतियोगिता का स्तर	**उपलिब्ध**
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

9. **(i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:–**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
(b) Impersonating, or
(c) Procuring impersonation by any person, or
(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or

(g) Using unfair means during the test, or

(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or

(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or

(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.

(l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
   - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
   - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
   - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) **<u>कदाचार के लिए कार्यवाही</u>** :–

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) **<u>पूर्व के कदाचार का प्रभाव</u>** :–

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

10. **परीक्षा शुल्कः–**

(i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(ii) अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0–**600 (छः सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।

(iii) **परीक्षा शुल्क में छूट–** झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0–**150/–(एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।**

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क से छूट है।

नोटः– अभ्यर्थी को उपर्युक्त **परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जायेगा।**

11. **आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :–**

(a) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(b) Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली–भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्त्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।

(c) **ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.–+919431301636 एवं +919431301419 *पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक* संपर्क किया जा सकता है।**

(d) **ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।**

(e) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.–**+919431301636 एवं +919431301419** पर संपर्क किया जा सकता है।

(f) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। **निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।**

(g) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।

(h) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है।

(i) जन्म तिथि– आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें

(j) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(k) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(l) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।

(m) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(n) **साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों के अनुरूप सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति मूल प्रति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–**

- (i) मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र की छायाप्रति।
- (ii) इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र की छायाप्रति।
- (iii) मान्यता प्राप्त संस्थान से वास्तुकला/बी० प्लानिंग/असैनिक अभियंत्रण में स्नातक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
- (iv) मान्यता प्राप्त संस्थान से अर्बन प्लानिंग/ट्रान्सपोर्ट प्लानिंग/हाउसिंग/पर्यावरण प्लानिंग/क्षेत्रीय प्लानिंग में से किसी एक विषय में विशिष्टिकरण के साथ मास्टर ऑफ प्लानिंग की उपाधि प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
- (v) इन्स्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स (इण्डिया), नई दिल्ली से साहचर्य सदस्यता संबंधी प्रमाण पत्र।
- (vi) जाति प्रमाण पत्र/E.W.S. प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
- (vii) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकंलागता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
- (viii) अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।

(o) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय उपर्युक्त कंडिका–(n) के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

12. **अंतिम तिथि :–**

(क) आवेदक **Online Application System** के माध्यम से **दिनांक–15.07.2020** से **10.08.2020** रात **11:45 बजे** तक ही **Online** आवेदन कर सकते हैं।

(ख) **दिनांक–10.08.2020** के बाद **दिनांक–11.08.2020** तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।